

देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

-: अधिसूचना :-

अधिसूचना संख्या ११/भू अ०

दिनांक : २०/०१/२०२०

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-सहरपुर, थाना-देवीपुर, थाना सं०-४१, अंचल-देवीपुर, जिला-देवघर में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा सतसंगनगर-भिरिखीबाद (एम०डी०आर०-२३५) पथ के रोहिणी, नावाडीह, तिलजोरी, देवीपुर एवं चौधरीडीह के बाईपास निर्माण कार्य हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम २(१)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-सहरपुर, थाना-देवीपुर, थाना सं०-४१, अंचल-देवीपुर, जिला-देवघर में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश ३.५८ एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :-

क. स.	खात I सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	55	रैयती	बाड़ी-२	0.10	जगरनाथ राय वो बलदेव राय वो कामदेव राय वो अवधेश राय पे० अयोध्या राय वो अनन्त राय पे० माधव राय वो प्राणधन राय वो बमशंकर राय पे० कोदो राय वो गीता देवी वो सुभद्रा देवी वो सुदो देवी वो गोदो देवी वो नीरो देवी वो गायत्री देवी वो माना देवी वो मीरा देवी पे० हरी राय वो रोहित राय पे० भोला राय वो मुस्कान कुमारी (नबालिग) पे० विवेका राय वो पुदीना देवी पे० महादेव राय वो ईश्वर राय पे० गोपाल राय वो आदित्य राय वो आशुतोष राय वो दिवाकर राय वो कांशी राय वो अधिर राय वो कन्हैया पे० सुगदेव राय वो सरवेश्वर राय वो नारायण राय पे० दुखी राय। सा० देह।	अर्जित दाग का अंश	अर्जित दाग का अंश	हाडो करा, 42	राजपुर संख्या 168
2	2	57	रैयती	बाड़ी-२	0.11	तथैव।				
3	2	67	रैयती	बाड़ी-२	0.58	तथैव।				
4	5	59	रैयती	बाड़ी-२	0.05	महावीर वर्मा वो संजय वर्मा पे० टेको महतो वो सूरज वर्मा वो श्याम वर्मा वो सुभाष वर्मा वो संदीप वर्मा पे० युगल महतो वो चुटो महतो वो बहादुर महतो पे० झारू महतो वो रामलखन महतो (पोष्यपुत्र) माता रेवली महतवाईन पति बृज महतो वो बलदेव महतो माता हुरो महतवाईन पे० हिरामन महतो वो उतीम महतो पे० डमर महतो सा० देह।				
5	5	61	रैयती	बाड़ी-२	0.13	तथैव।				
6	5	9	रैयती	बाड़ी-२	0.40	तथैव।				
7	5	64	रैयती	बाड़ी-२	0.40	तथैव।				
8	6	65	रैयती	बाड़ी-२	0.03	चुड़का महतो बल्द डीलो महतो जाति कोयरी। सा० देह।				

9	7	68	रैयती	बाड़ी-2	0.07	चोवा महतो वो चेतु महतो वो कार्तिक महतो पे० चुनी महतो वो महावीर वर्मा वो संजय वर्मा पे० टंको महतो वो सूरज वर्मा वो श्याम वर्मा वो सुभाष वो संदीप वर्मा पे० युगल महतो वो चुटो महतो वो बहादुर महतो पे० झारु महतो वो रामलखन महतो (पोष्यपुत्र) माता रेवली महतवाईन पति बृज महतो वो बलदेव महतो माता हुरो महतवाईन पे० हिरामन महतो। सा० देह।
10	10	8	रैयती	बाड़ी-2	0.10	मो० तीनु महतो भाईया जौजे शुकल महतो, जाति कोयरी। सा० देह।
11	11	54	रैयती	बाड़ी-2	0.57	घनश्याम वर्मा वो सुरेश वर्मा पे० भोला महतो वो धर्मेन्द्र महतो वो महेन्द्र महतो वो रामलखन महतो पे० बालदेव महतो वो बालेश्वर महतो वो महादेव महतो पे० सोना महतो वो गुलटन वर्मा पे० गोवर्धन महतो वो गांगू महतो वो हरीलाल महतो पे० रीतन महतो वो भौरों महतो पे० भिखो महतो वो प्रकाश वर्मा पे० सुकदेव वर्मा वो कार्तिक वर्मा वो अर्जून महतो वो दामोदर वर्मा पे० टीपन महतो वो बाघो महतो पे० जीयो महतो।
12	11	10	रैयती	बाड़ी-2	0.35	तथैव।
13	20	58	रैयती	बाड़ी-2	0.04	दिनेश्वर महतो वो लिलो महतो वो बुधन महतो वो किसुन महतो पे० ललित महतो सा० देह।
14	20	63	रैयती	बाड़ी-2	0.10	तथैव।
15	20	66	रैयती	बाड़ी-2	0.55	तथैव।
कुल रकवा-					3.58	

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी
देवघर

अपर समाहर्ता
देवघर

समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक ११ / भू अ०, देवघर, दिनांक 20/01/2020

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, देवीपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित साथ ही अखबार में प्रकाशित अधिसूचना की प्रति जिला भू अर्जन कार्यालय, देवघर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी
देवघर

17-01-2020
अपर समाहर्ता
देवघर

17/1/2020
समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।